न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 43/23 GCMS NO 2023/106

1. प्रहलाद पुत्र रत्तीराम
2. प्रेमराम पुत्र प्रहलाद
3. रामजस उर्फ पन्टया पुत्र प्रहलाद समस्त जातियान मीना निवासीयान जडावता तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र मोतीलाल मीना निवासी जडावता तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 43/21 निर्णय दिनांक 12.4.23
न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री राधेश्याम बैष्णव

दिनांक 10.03.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 12.4.23 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/प्रार्थी रामचन्द्र ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का पिता है। जो ग्राम जडावता के निवासी है। ग्राम जडावता के ख0न0 424 रकबा 1.09 है0 स्थित है जो कि सम्वत 2074–77 की जमाबंदी मे दर्ज है। उक्त ख0न0 424 रकबा 1.09 है0 मे प्रार्थी रामचन्द्र पुत्र मोती का 33/218 हिस्सा है। प्रार्थी सदैव से अपने हिस्से की भूमि पर खेती कर स्वयं एवं स्वयं के परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही है। अप्रार्थीगण ने नाजायज गिरोह बना रखा है जो कि गरीब व्यक्तियो की भूमि पर जबरन कब्जा कर हडपने पर आमादा है। अप्रार्थीगण की प्रार्थी की जमीन कृषि भूमि पर नीयत खराब है। वह किसी भी प्रकार येन केन प्रकार से भूमि को हडपने पर आमादा है। दिनांक [illegible] को [illegible] के साथ प्रार्थी की भूमि पर आये तथा प्रार्थी को गाली गलौच कर कब्जा [illegible] की धमकी दी गई। प्रार्थी द्वारा खुब समझाया गया परन्तु वह नही माने तथा प्रार्थी को [illegible] विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि से किसी [illegible] का कोई संबंध वास्ता नही है। प्रार्थी को अधिकार है कि वह अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:44:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

से पाबन्द करावे कि वह प्रार्थी की भूमि ख0न0 424 रकबा 1.09 है0 ग्राम जडावता तहसील व जिला सवाई माधोपुर के हिस्सा 33/218 के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि विवादित कृषि भूमि ख0न0 424 रकबा 1.09 है0 को रेस्पों0 संख्या 1 ने दिनांक 19.1.2017 को अपीलांट से चार लाख रूपये उधार लिये थे एवं दिनांक 19.12.17 को विवादित भूमि को अपीलांट के यहॉ रहन रखी थी। तभी से विवादित भूमि पर अपीलांट का भौतिक रूप से कब्जा चला आ रहा है। रेस्पो0 संख्या 1 चालाक किस्म का व्यक्ति है । रहन की राशि अदा किये बिना ही न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अपीलांटगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाकर अपीलांट के रहन रखी हुई विवादित भूमि ख0न0 424 रकबा 1.09 है0 मे से 33/218 हिस्से को हडपने के लिए प्रयत्नशील है। रेस्पो0 संख्या 1 एक स्वच्छ हाथो से अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। रेस्पो0 ने सहखातेदारान को पक्षकार बनाये बिना ही प्रार्थना पत्र व दावा पेश किया है। विवादित भूमि का सहखातेदारान के मध्य विभाजन नही होने से यह स्पष्ट भी नही है कि रेस्पो0 का विवादित भूमि कृषि भूमि कौनसी है। इस तथ्य को गौर किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त, इल्लीगल,इम्प्रोपर व इनकरेक्ट होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को रेस्पो0 द्वारा पुलिस मे शिकायत दिनांक 21.6.23 को पेश करने पर हुई। इस प्रकार अपील जानकारी के अनुसार अन्दर मियाद पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:33 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पो0 की आराजी ग्राम जडावता के ख0न0 424 रकबा 1.09 है0 स्थित है जो सम्वत 2074–77 की जमाबंदी मे दर्ज है। उक्त ख0न0 424 रकबा 1.09 है0 मे रेस्पो/प्रार्थी रामचन्द्र पुत्र मोती का 33/218 हिस्सा है। रेस्पो/प्रार्थी सदैव से अपने हिस्से की भूमि पर खेती कर स्वयं एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

स्वयं के परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही है। अप्रार्थीगण ने नाजायज गिरोह वना रखा है जो कि गरीब व्यक्तियो की भूमि पर जबरन कब्जा कर हडपने पर आमादा होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिस पर अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा जरिये वकील उपस्थित होकर अपना जवाव पेश किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी थी। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन झूठा है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी रेस्पो/प्रार्थी द्वारा पुलिस मे शिकायत करने पर हुई है। विवादित आराजीयात ख0न0 424 रकबा 1.09 है0 मे प्रार्थी/रेंस्पो0 का 33/218 हिस्सा है। जो प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है। यदि अपीलांट तथाकथित राशि चार लाख की आड मे विवादित भूमि को जरिये स्टाम्प रहन बताता है तो वह उसके लिए सक्षम न्यायालय मे वाद पेश कर अनुतोष प्रदान कर सकता था जो उसके द्वारा नही किया गया है। चूकिः भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है जिसके अधिकारो से प्रार्थी को वंचित नही किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि के अनुरूप है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात भूमि ख0न0 424 रकबा 1.09 है0 ग्राम जडावता प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजीयात है। जिसमे प्रार्थी/रेस्पो0 का 33/218 हिस्सा बनता है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात को राशि चार लाख रूपये मे रहन बाबत स्टाम्प के आधार पर कब्जा होना बताया है। इस प्रकार कब्जे के आधार पर किसी भी खातेदारी की आराजीयात का हस्तान्तरण नही किया जा सकता ना ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मुकदमा न0 43/21 निर्णय दिनांक 12.4.23 की पुष्टि की जाती है।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को लिखाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:33 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर